

LEGAL AID CENTRE

UNIVERSITY OF LUCKNOW



IN COLLABORATION WITH

INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE

UNIVERSITY OF LUCKNOW

GENDER **SENSITIZATION** PROGRAM

TO ENSURE SAFETY, SECURITY AND DIGNITY OF GIRLS AND WOMEN AT WORKPLACE

TENTATIVE SCHEDULE

| S. No. | Departments/Faculty | Tentative Date |
|--------|--|----------------|
| 1. | Faculty Of Engineering And Technology | 06/05/2022 |
| 2. | Faculty of Yoga and Alternative Medicine | 07/05/2022 |
| 3. | Institute of Management Sciences | 09/05/2022 |
| 4. | Institute of Tourism Studies Dr. Giri Lal Gupta Institute of Public Health Dr. Shankar Dayal Sharma Institute of Democracy | 11/05/2022 |
| 5. | Faculty of Law | 12/05/2022 |

IN CASE OF QUERIES, REACH US AT

PROF. MADHURIMA PRADHAN CHAIRPERSON INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE UNIVERSITY OF LUCKNOW

C9415188700

■PRADHAN.MADHURIMA@GMAIL.COM

PROF. (DR). MOHMMAD AHAMAD

CHAIRPERSON LEGAL AID CENTRE UNIVERSITY OF LUCKNOW

94158336113 6

LULEGALAID@LKOUNIV.AC.IN ™

Sexual Harassment should be addressed irrespective of gender

A workshop on the theme of Gender Sensitization with the aim to promote gender equality, encourage gender friendly environment and attain social responsibility among young minds was organized at Faculty of law, by legal Aid Centre in collaboration with Inter Complaints Committee, University of Lucknow, and Lucknow.

The workshop was graced with the presence of Prof. Dr. C.P Singh, Head and Dean, Faculty of Law, Ms. Pragyamati Gupta, Advocate, Allahabad High Court, Lucknow Bench, and Member Internal Complaints Committee, University of Lucknow and Mr. Prateek Seth, Guest Faculty, University of Lucknow.

Prof. Dr. C.P Singh appreciated the efforts of the centre in organizing such awareness programmes and workshops while he also talked about the importance of gender inclusive rights and how women have been excelling in all fields. He said that on merit basis 80% students admitted are women in the faculty of law. Talking about the foreign culture where divorce rates have increased he insisted on taking a path to a reasonable progressive approach. He said that he believes that the future generation will be very righteous in terms of nurturing of their children and will not stigmatize on the basis of gender.

The workshop was made more interactive with the presentation of the videos that sublimely exhibited the gender biases and stereotypes prevalent in the society and questioning the long existing silence of the public over it.

Senior member of the Centre Mr. AmanKannaujia emphasized on the need for inclusivity of transgender. Stating the ratio of the uneducated transgender in India he unfolded the reasons for such atrocities faced by them one of them being their exclusion from the very inception.

Mr. Anupam Gupta talked about certain legislations that intend to attain gender parity. The Equal Remuneration Act, 1976 which provides for equal pay to men and women for similar nature of work. Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 which provides equal property rights to women as men. The Menstruation Benefits Bill, 2017 that provides for two day leave to menstruating women but yet has not received the assent of the Parliament.

The second part of the workshop prioritized on PoSH Act (Sexual Harassment of Women at workplace; Prevention, Prohibition and Redressal 2013). Mr. AnadiTewari, briefed the audience about the act and talked about remedies it provides to a sexually harassed individual. While busting certain myths about the act he told that the act does not mandate any workplace to restrict its sexual harassment policies to women. A workplace can form policies that address sexual harassment irrespective of gender.

The workshop left the audiences with a question of have we achieved Gender Parity and with our slow efforts how long will it take to attain it.

Ms. Pragyamati Gupta Ma'am appreciated the initiative and answered all queries of the students, after which Mr. Prateek Seth, guest faculty, University of Lucknow addressed the audience and gave some life examples about the barbarity of the society that women have been facing historically and at present.

The workshop ended with a song performed by Mr. Devesh and Mr. Zahir, and a vote of Thanks by Mr. Ajeet expressing his heartfelt gratitude to the audience

लखनऊ विश्वविद्यालय विधिक सहायता केंद्र

लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित संस्था विधिक सहायता केंद्र एवं आंतरिक शिकायत समिति लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 12 मई को विधि संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय में लैंगिक संवेदीकरण के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती प्रज्ञामति गुप्ता(अधिवक्ता,इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं सदस्य,आंतरिक शिकायत समिति,लखनऊ विश्वविद्यालय एवं मधु यादव(अधिवक्ता, लखनऊ विश्वविद्यालय) मौजूद रहे।कार्यशाला का उद्घाटन कृतिका सिंह द्वारा अतिथियों का स्वागत कर कार्यशाला का संक्षिप्त विवरण तथा विधिक सहायता केंद्र के उद्देश्य,लक्ष्य एवं कार्यशेली के बारे मे बता कर किया गया।

तत्पश्चात विधिक सहायता केंद्र के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के कुल गीत की प्रस्तुति दी गई।तदुपरांत विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉ सीपी सिंह ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति एवं विकास पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी सामाजिक बदलाव का आरंभ व्यक्तिगत बदलाव से ही होता है। उन्होंने विभिन्न लिंगों के प्रति बन चुकी रूढ़िवादी सोच को हटाने का भी आवाहन किया।

कार्यशाला दो भागों में विभाजित थी जिसमें पहला भाग लैंगिक संवेदीकरण एवं दूसरा भाग कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित रहा। कार्यशाला के पहले चरण की शुरुआत अनादि तिवारी द्वारा कुछ चल चित्रों को प्रस्तुत करके किया गया जिनमें सभी लिंगों के प्रति बन चुकी सामाजिक रूढ़िवादी सोच को प्रदर्शित किया गया। दर्शकों से चलचित्रों के संबंध में सवाल भी किये कि युवा पीढ़ी की लैंगिक समानता के लक्ष्य को पाने में क्या जिम्मेदारी हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 14 का विवरण देते विधि के समक्ष समता के अधिकार के बारे मे जानकारी दी।

तत्पश्चात अमन कुमार द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों की सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन किया गया एवं बताया गया कि किस तरह उनको जन्म के पश्चात ही समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है एवं बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराओं में बांध दिया जाता है जिसके कारण वह अपना जीवन सामान्य रूप से नहीं जी पाते हैं।

तत्पश्चात अनुपम गुप्ता द्वारा लैंगिक संवेदीकरण को ध्यान में रखकर बनाए गए कुछ संवैधानिक अधिनियम के बारे में बताएं गया जिनमें समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 एवं मासिक धर्म लाभ विधेयक 2018 शुमार हैं।

कार्यशाला के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए अनादि तिवारी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित एक चलचित्र प्रस्तुत किया एवं दर्शकों की राय ली। उन्होंने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)अधिनियम,2013 दिए गए सभी प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने

भंवरी देवी केस का मार्मिक विवरण दिया एवं विशाखा निर्देशों के बारे में बताया जो कि आगे चलकर इस अधिनियम का आधार बना। उन्होंने अधिनियम में दिए गए कार्यस्थल, पीड़ित महिला,आंतरिक शिकायत समिति, स्थानीय शिकायत समिति,शिकायत दर्ज करने का तरीका आदि के बारे में बताया।

तत्पश्चात कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती प्रज्ञामती गुप्ता को आमंत्रित किया गया, उन्होंने बताया कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी लेकिन समय के साथ-साथ उनकी स्थिति खराब होती चली गई। उन्होंने यह भी बताया कि 1916 से पहले महिलाओं के पास वकालत का अधिकार नहीं था और रेगीना गुहा नामक महिला के बारे में बताया जिन्होंने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के 73 साल बाद भी आज तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। लखनऊ विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति की सदस्य होने के नाते उन्होंने सभी दर्शक गणों एवं अतिथियों को शिकायत दर्ज करने के तरीके एवं उसके निस्तारण की विस्तृत जानकारी दी।

तत्पश्चात डॉ प्रतीक सेठ द्वारा बताया गया कि मनु स्मृति में महिलाओं को लेकर एक विरोधी सोच का वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा कि " समाज में लड़का होना भाग्य की बात है लेकिन लड़की होना सौभाग्य की बात है।" कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए देवेश यादव द्वारा एक मनमोहक संगीत की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को समाप्त करते हुए अजीत कुमार द्वारा सभी मौजूद अतिथि गणों एवं दर्शक गणों को धन्यवाद जापित किया गया।



वर्ल्ड रैंकिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय को मिला अग्रणी स्थान

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अकादिमक उत्कृष्टता के क्षेत्र में एक और उपलब्धि अपने नाम दर्ज कराई है। हाल ही में जारी करी गयी वर्ल्ड एजुकेशन रैंकिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय को भारत में 29वें और विश्व 2022 की समग्र रैंकिंग में

भारत में 29 वें और विश्व में मिला 1773वां स्थान

1773 वें स्थान पर रखा गया है। विगत वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय को देश भर के विश्वविद्यालयों में 58वीं रैंक हासिल हुई थी। यह जानकारी देते हुए लिविव के प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताा िक एजुकेशन रैंक की रैंकिंग 3 प्रमुख मानकों, अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी प्रदर्शन 5,764 प्रकाशन और 72,746 उद्धरण, गैर-शैक्षणिक प्रतिष्ठा, और पूर्व छात्रों का उल्लेखनीय प्रदर्शन, की गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस रैंकिंग में भारत के टॉप 50 में स्थान पाने वाला उत्तर



प्रदेश का एकमात्र राज्य विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों की सयुंक्त रैंकिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय को चतुर्थ स्थान, प्रथम भारतीय प्रद्योगिकी संस्थान कानपुर, द्वितीय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और तृतीय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भारत के सभी विश्वविद्यालयों में से केवल चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालय ही टॉप रैंकिंग में अपना स्थान दर्ज करा सके हैं जिसमे लखनऊ विश्वविद्यालय अग्रणी है। रैंकिंग में शामिल केवल विश्वविद्यालओं की सूची में लिविव ने 16 वां स्थान प्राप्त किया है।

एलयू के कुलपति ने की बंग्लादेश क उच्चायुक्त संग बैठक

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.आलोक कुमार राय ने बुधवार को बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान और उनके राजनीतिक सलाहकार मोहम्मद शफीउल आलम के साथ बैठक की। बैठक में बांग्लादेश में शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशी गईं। उच्चायुक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के पिछले 2 साल में हुए नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन एवं विश्वविद्यालय के छात्रों को इसके अंतर्गत प्रदान की गई फ्लैक्सिबल एंट्री और एग्जिट सुविधाओं से काफी प्रभावित हुए। प्रो राय ने पेशकश की कि वह बांग्लादेश को नई प्रणाली की खुबियों को समझने में मदद कर सकते हैं जो खतरों के समुची विकास के अनुकुल है गुणवत्तापुर्ण शिक्षा सनिश्चित करती है और छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकादमी तौर पर तैयार करती है।

समाजकार्य विभाग व दीनदयाल शोध पीठ ने लिया 25 क्षय रोगियों को गोद

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग एवं पंडित दीनदयाल शोध पीठ द्वारा पुन: 25 क्षय रोगियों को गोद लिया गया है जो कि लखनऊ जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसमें 13 महिलाएं एवं 12 पुरुष है जिन्हें शोध पीठ द्वारा पौष्टिक आहार न्यूनतम छह माह अथवा उपचार अवध के पूर्ण होने तक जो भी बाद में हो, रोगी को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इन्हें क्षय रोग के प्रति जागरूक भी किया जाएगा जिससे कि यह ना सिर्फस्वयं के प्रति चैतन्य हो बल्कि यह इस प्रकार प्रशिक्षित हो कि समाज के अन्य हिस्सों में जाकर लोगों को क्षय रोग के प्रति जागरूक कर सकें। विश्वविद्यालय एवं समाज कार्य विभाग इनके संपूर्ण विकास पर ध्यान देगा, जिससे कि यह एक बेहतर और जागरूक नागरिक के रूप में समाज के मध्य जाएं और अपना सकारात्मक योगदान प्रदान करें। स्वस्थ समाज के निर्माण के साथ ही साथ क्षय रोग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। इसी क्रम में समाज कार्य विभाग प्रोफेसर अनुप कुमार भारतीय द्वारा क्षय रोगियों के साथ एक शिष्टाचार मुलाकात की गई जिसमें इनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया।

एलयू में लिंग संवेदीकरण पर कार्यशाला

लखनऊ। इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक अफेयर्स, लखनऊ विश्वविद्यालय में बुधवार को लिंग संवेदीकरण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के विधि संकाय की प्रतिष्ठित संस्था विधिक सहायता केंद्र व लखनऊ विश्वविद्यालय, महिलाओं के प्रति यौन उत्पीडन संबंधी आंतरिक शिकायत समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति की सदस्य डॉ श्रुद्धा चंद्रा उपस्थित रही व डॉ अंजली ने महिला सशक्तीकरण व लिंग संवेदीकरण पर लोगों के दृष्टिकोण पर विशेष व्ख्यान करते हुए उपस्थित सभी लोगों से लैंगिक भेदभाव को खत्म करने तथा सभी को एक समान मानने के लिए प्रेरित किया। अनुपम गुप्ता ने श्रोताओं को किसी भी तरह की विधिक सहायता प्राप्त करने हेतू, विधिक सहायता केंद्र लविवि से संपर्क करने के का आग्रह किया। कार्यशाला का शभारंभ विश्वविद्यालय कुलगीत गायन के माध्यम से किया गया। विधिक सहायता केंद्र के सदस्यों ने लिंग संवेदीकरण पर श्रोताओं को जागरूक करते हुए बताया कि कैसे समान पारिश्रमिक अधिनियमए 1976 में समान काम करने वाले महिला व पुरुष को समान वेतन मिलने तथा समान योग्यता होने पर समान पद पाने का अधिकार हैस साथ ही हिन्दु उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम, 2005 में बेटियों को भी बेटों के समान पैतुक सम्पत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना जाता है।